

सं. एवी-34010/10/2016-एस
भारत सरकार / Government of India
नागर विमानन मंत्रालय / Ministry of Civil Aviation

'बी' ब्लॉक, राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली,
दिनांक: 14.07.2025

आदेश

वर्तमान अपील श्री अमरीश मोराजकर द्वारा दायर की गई है, जिन्हें इसके पश्चात अपीलकर्ता के रूप में संदर्भित किया गया है, आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत, पंजीकरण संख्या एमओसीएवी/ए/ई /25 /00019 दिनांक 04.07.2025 के तहत, सीपीआईओ द्वारा दिए गए दिनांक 07.07.2025 के उत्तर के विरुद्ध।

2. आरटीआई पंजीकरण संख्या एमओसीएवी/आर/ई/25/00328 दिनांक 20.06.2025, अपीलकर्ता द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें हवाईअड्डों और सार्वजनिक स्थानों पर फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी (एफआरटी) के उपयोग से संबंधित विवरण मांगे गए थे।

3. इस संबंध में, दिनांक 01.06.2025 के पत्र के माध्यम से, सीपीआईओ ने आरटीआई आवेदन में मांगी गई आवश्यक सूचना प्रदान की।

4. सीपीआईओ के उत्तर से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष वर्तमान अपील दायर की, जिसमें अपील के आधार के रूप में यह तर्क दिया गया कि सीपीआईओ का उत्तर अपूर्ण, भ्रामक अथवा असत्य सूचना प्रस्तुत करता है। हालाँकि, अपील के आधारों की जाँच करने पर, अपीलकर्ता ने ऐसी अतिरिक्त सूचना मांगी है जो प्रारंभिक आरटीआई आवेदन दिनांक 20.06.2025 में नहीं मांगी गई थी।

5. मैंने अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील और सीपीआईओ द्वारा दिनांक 01.07.2025 को दिए गए उत्तर का अवलोकन किया है।

6. चूँकि प्रारंभिक आरटीआई आवेदन में मांगी गई सभी आवश्यक सूचना सीपीआईओ द्वारा प्रदान कर दी गई है, अतः सीपीआईओ द्वारा प्रस्तुत पूर्व सूचना की पुनः पुष्टि करते हुए अपील का निपटान किया जाता है।

7. इस उत्तर के विरुद्ध, यदि कोई हो, केंद्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 के समक्ष निर्धारित समय सीमा के भीतर अपील की जा सकती है।

भवदीय,

(कुमार सौरभ राज)
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
दूरभाष: 011-24653565

प्रतिलिपि:

1. श्री अमरीश मोराजकर, 9, तुलसीबाग निवास, गणेश नगर, महाराष्ट्र ।
2. सी एंड डब्ल्यू अनुभाग, नागर विमानन मंत्रालय ।